न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- /2025

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाडा

निर्णय **दिनांकः-** 19/05/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 441/25, खसरा नंबर 441/60 व खसरा नंबर 441/64 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर कपडा लटठा नक्शा अनुसार सही तरमीम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव के खसरा सं. 441/25, 441/60 व 441/64 की तरमीम DILRMP कार्यक्रम के तहत की गई थी इसलिए ऑनलाईन तरमीम की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड के कपडा लटठा नक्शा के अनुसार स्थिति नजरी नक्शा ए के अनुसार है जबकि राजस्व रेकर्ड के कपडा का लटठा नक्शा की तरमीम की स्थिति नजरी नक्शा बी के अनुसार है। इस प्रकार नजरी नक्शा बी में दर्शाया अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना है लेकिन राजस्व रेकर्ड के कपडा लटठा का नक्शा के अनुसार ऑनलाईन तरमीम में त्रुटि रह गई। अतः दर्शाये नजरी नक्शा बी अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 441/25, खसरा नंबर 441/60 व खसरा नंबर 441/64 की ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम को पटवारी

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सही तरमीम किया जाना उचित रहेगा।

आदेश

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 441/25, खसरा नंबर 441/60 व खसरा नंबर 441/64 की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 11/04/2025 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बी दिनांक 11/04/2025 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा